[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि आयुक्त पत्र सं० 821 दि० 19-1-12

न्यायालय कलेक्टर हरदोई।

आवेदन पत्र संख्या– 275 वर्ष 2011
धारा 157–ए ज०वि०अधिनियम
ग्राम–[illegible] परगना बिलग्राम
तहसील व जिला हरदोई

श्रीमती नन्दरानी बनाम सरकार

आदेश

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157–ए के अधीन यह आवेदन पत्र प्रार्थिनी श्रीमती नन्दरानी पत्नी श्रीराम अनिल निवासिनी मो० आलूपोखर नदवापुरवा परगना बिलग्राम तहसील व जिला हरदोई की ओर से अपने नाम अंकित भूखण्ड संख्या–269/1.0530है० में से 0.0030 स्थित ग्राम [illegible] परगना बिलग्राम तहसील व जिला हरदोई को इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड हाइटल केयर सेन्टर द्वारा संचालित डा० बी०आर० अम्बेडकर एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट 74 उत्तरी आलूपोखर नदवापुरवा हरदोई के नाम से [illegible] की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला है।

2– प्रकरण की जाँच उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर के माध्यम से कराई गई, जिनकी आख्या दिनांक 16–12–2011 प्राप्त हुई, एवं जिस पत्रावली पर सलग्न है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिनी के पास कुल 0.8395 हेक्टेयर भूमि है। प्रार्थिनी उक्त भूमि में से 0.300 हेक्टेयर भूमि को संस्था के नाम दान करने की अनुमति चाहती है। उक्त भूमि दान करने के उपरान्त प्रार्थिनी के पास 0.5395 हेक्टेयर भूमि अवशेष रह जायेगी जो कि ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157–ए में निर्धारित न्यूनतम सीमा 1.260 हेक्टेयर से अधिक है। उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर की उक्त आख्या में प्रार्थिनी के कथन की पुष्टि की गई है।

3– तदनुसार आवेदिका को उक्त प्रस्तर–1 में वर्णित भूखण्डों को प्रस्तावित संस्था के पक्ष में दान करने में अनापत्ति व्यक्त प्रदान की जाती है।

04–01–2012

[illegible] प्रमाणित

[illegible]
[illegible]
कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
हरदोई

([illegible] सिंह राजपूत)
कलेक्टर हरदोई।

Scanned with CamScanner